an>

Title: Issue regarding alleged breach of protocol by bureaucrats in Bihar.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में विगत दिनों पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति के तहत चक्की प्रखंड में एक नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र के लोकापर्ण के अवसर पर मुझे विभाग के पदाधिकारी द्वारा न तो आमंत्रित किया गया और न ही शिलापट्ट में मेरा नाम दर्ज किया गया।...(व्यवधान) दुर्भाग्य है कि उक्त कार्यक्रम को एक दल विशेष के पूर्व सांसद, बक्सर की अध्यक्षता में किए जाने का निर्णय अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक है।...(व्यवधान) इस कार्यक्रम को बिहार के उपमुख्यमंत्री दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को उद्घाटन करने वाले थे।...(व्यवधान) मुझे लोक सभा सत्र के दौरान इसकी सूचना ज्यों ही मिली, तो तुरंत ही मैं इस बात को दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को आपके संज्ञान में संरक्षण हेतु लाया। उसी दिन विद्युत विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी बात की, तो उन्होंने तुरंत देर रात अपने विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी से इस विषय पर विद्युत विभाग, बिहार के प्रधान सचिव से बात कर इस कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्देश दिया, क्योंकि माननीय सांसद सत्र के दौरान दिल्ली में मौजूद थे।...(व्यवधान) यह कार्यक्रम दूसरे दिन किसी कारण से स्थगित तो हो गया, लेकिन हमें संदेह है कि निकट भविष्य में फिर इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि इसके पूर्व इसी विभाग के द्वारा हमारे संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ विधान सभा में लगभग छह-सात माह पूर्व पावर ग्रिड सब-स्टेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में न तो मुझे आमंत्रित किया गया था और न ही शिलापट्ट में नाम दर्ज किया गया था, बल्कि पूर्व सांसद, बक्सर द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कराई गई थी जबकि मैं जनता के आग्रह पर वहां कार्यक्रम में मौजूद था।...(व्यवधान) इसका प्रतिकार भी मैंने वहां उपस्थित विभागीय मंत्री तथा प्रधान सचिव से किया, किंतु उसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला।...(व्यवधान) विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आए दिन सांसदों का अपमान ऐसे पदाधिकारियों एवं सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है जो घोर आपत्तिजनक है।

अतः आपसे आग्रह है कि अपने स्तर से विशेषाधिकार समिति/प्रोटोकॉल समिति को शीघ्रातिशीघ्र जांच आदेश देकर संबंधित विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों/अभियंताओं एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Next is Shri Thota Narasimham.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am allowing you only for one minute.

...(*Interruptions*)